

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या 4.4.5.../2023

09.09.2023 आवेदिका साधना कर्मकार राय पति रव0 जयव्रत राय, साकिन- साहाना रोड, शिव मंदिर, पोस्ट-कोडरमा, थाना- कोडरमा, जिला-कोडरमा के द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	किस्म
कोडरमा	333	65	3194 3195	3.85 डी0 1.15 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तागत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 16/09/2023 को प्रस्तुत करें।

09/09/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

16.09.2023 अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं0-333, खाता सं0-65, प्लॉट सं0-3194, रकबा-3.85 डी0 एवं प्लॉट सं0-3195, रकबा-1.15 डी0 भूमि ऑनलाईन पंजी-II के पृष्ठ संख्या-164, भाग संख्या-38 पर साधना कर्मकार पति जयव्रत राय के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0-594/2010-11 दर्ज है। लगान रसीद वर्ष-2023-24 तक निर्गत है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला सं0-3382 दिनांक 25.05.2010 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र संख्या-12, दिनांक 01.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

16/09/23
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।